(21) (195)

कार्यालय उप जिलाधिकारी पोखरी।
संख्या 545/र0का0–रा0पॉ0भूमि चयन (2015–16) दिनांक पोखरी 04 अप्रैल 2016

समन्वयक / प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक,
पोखरी।

विषय– राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी की स्थापना हेतु 2.3815 एकड (0.96374 है0) भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 335/रा0पॉ0पोखरी/भूमि भवन/2015–16 दिनांक 27 फरवरी 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करन का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण पर भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में राजस्व उपनिरीक्षक देवर ने अपनी आख्या दिनांक 05.03.2016 के द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु भूमि का प्रस्ताव तैयार करते हुए अवगत कराया है कि राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी की स्थापना हेत ग्राम उदयपुर के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या 04 में चीड जंगल के नाम से दर्ज खसरा नम्दर 02 रकवा 4.492 है0 मध्ये 0.404 है0 एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला की ज0वि0 र0 खतौनी खाता संख्या 30 में दर्ज खसरा नम्बर 2075 रकवा 1.605 है0 मध्ये 0.160 है0 एवं खसरा नम्बर 2076 रकवा 1.805 है0 मध्ये 0.400 है0 जो कि श्रेणी 9–3 (ख) (2) अन्य प्रकार के वृक्ष एवं झाडियों के समूह के रूप में दर्ज अभिलेख है, प्रस्तावित की गयी है इस प्रकार ग्राम सिनाऊतल्ला मल्ला एवं उदयपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी की स्थापना हेत कुल 0.964 है0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है जिसका नक्शा, खसरा एवं खतौनी की नकल मूल में संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित भूमि चीड़ जंगल के रूप में एवं श्रेणी–9(3)ख(2) अन्य प्रकार की झाडियों के समुह के रूप में दर्ज अभिलेख होने से उक्त भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होते हैं, जिस कारण उक्त भूमि को शासनादेश सं0 2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2015 के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा एवं खतौनी की प्रति आपको इस आशय के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि प्रकरण में नियमानुसार वन भूमि हस्तानान्तरण के तहत प्रस्ताव तैयार कर ऑन लाईन अपलोड करते हुए स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही प्रसतावित भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु दोगुनी भूमि का नक्शा खसरा एवं खतौनी की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न– यथोपरि।

(के0एम0 गोस्वामी)
उप जिलाधिकारी,
पोखरी।